RUPEES

रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

बैनामा अंकन - 15,61,488/- रुपये का।

स्टाम्प अंकन - 1,56,200/- रुपये का।

विवरण विक्रय भूमि - कृषि भूमि खाता नं0 436 खसरा नं0 2261 मि0 क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टेयर व खसरा नं0 2262 क्षेत्रफल 0.3540 हेक्टेयर व खसरा नं0 2264 क्षेत्रफल 0.2660 हेक्टेयर व खसरा नं0 2266 क्षेत्रफल 0.4050 हेक्टेयर व खसरा नं0 2265 क्षेत्रफल 0.3670 हेक्टेयर कुल लम्बरान 5 क्षेत्रफल 1.6320

2462
2463

3-0 MAY 2006

रु० 1561488/-

रु० 5020 00/600

श्री अतुल अग्रवाल
पुत्र श्री सुभाष चन्द अग्रवाल
निवासी 3 ब्लॉक प्रथक अपार्टमेंट

सत्यमेव जयते

सत्यवीर डालमी RP

अतुल अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

0 MAY 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

070541

(2)

हेक्टेयर में से विक्रेता का कुल 1/15 भाग अर्थात 0.1088 हेक्टेयर, भूमि इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय की जा रही है, स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद। विक्रित खसरा नम्बरान में विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है अर्थात उसने अपना सम्पूर्ण भाग इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय किया है। उपरोक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रय कृषि भूमि के चारो तरफ 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय की जा

3 0 MAY 2006

पुत्र श्री

नि॰

व श्री

पुत्र श्री

निवासी

सब रजिस्ट्रार प्रथम

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उ0 प्र0 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 070539

रही है। विक्रित भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता कायम नही है। विक्रित भूमि में कोई निर्माण किसी प्रकार का नही है। विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से नही है। तथा भारत के नागरिक है। भूमि के आस-पास की भूमि का भाव कम है। भूमि की निर्धारित दर 35,00,000/- रुपये प्रति एकड़ है, स्टाम्प डयूटी वास्तविक मूल्य पर नियमानुसार अदा की जा रही है। विक्रय की जाने वाली भूमि मेन रोड से

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

RUPEES 20000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 070538

(4)

लगभग 200 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है, तथा किसी भी राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग अथवा किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थित नही है। विक्रित भूमि की चतुर्थ सीमा मानचित्र में प्रदर्शित की गई है जो संलग्न है। विक्रय भूमि ग्राम समाज, पट्टा अथवा भूदान अथवा वक्फ की नही हैं। क्रेता ने विक्रेता के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, एवं क्रय की जानेवाली भूमि को मौके पर जाकर भली प्रकार देख लिया है

Rs 20000 ₹

बीस हजार रुपए

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 ₹ INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 ₹

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

070557

4A

जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण इत्यादि नही है

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

070556

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4B

एवं न ही किसी प्रकार की कोई फसल इत्यादि खड़ी है

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 070555

4C

एवं उक्त भूमि हेतु माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा

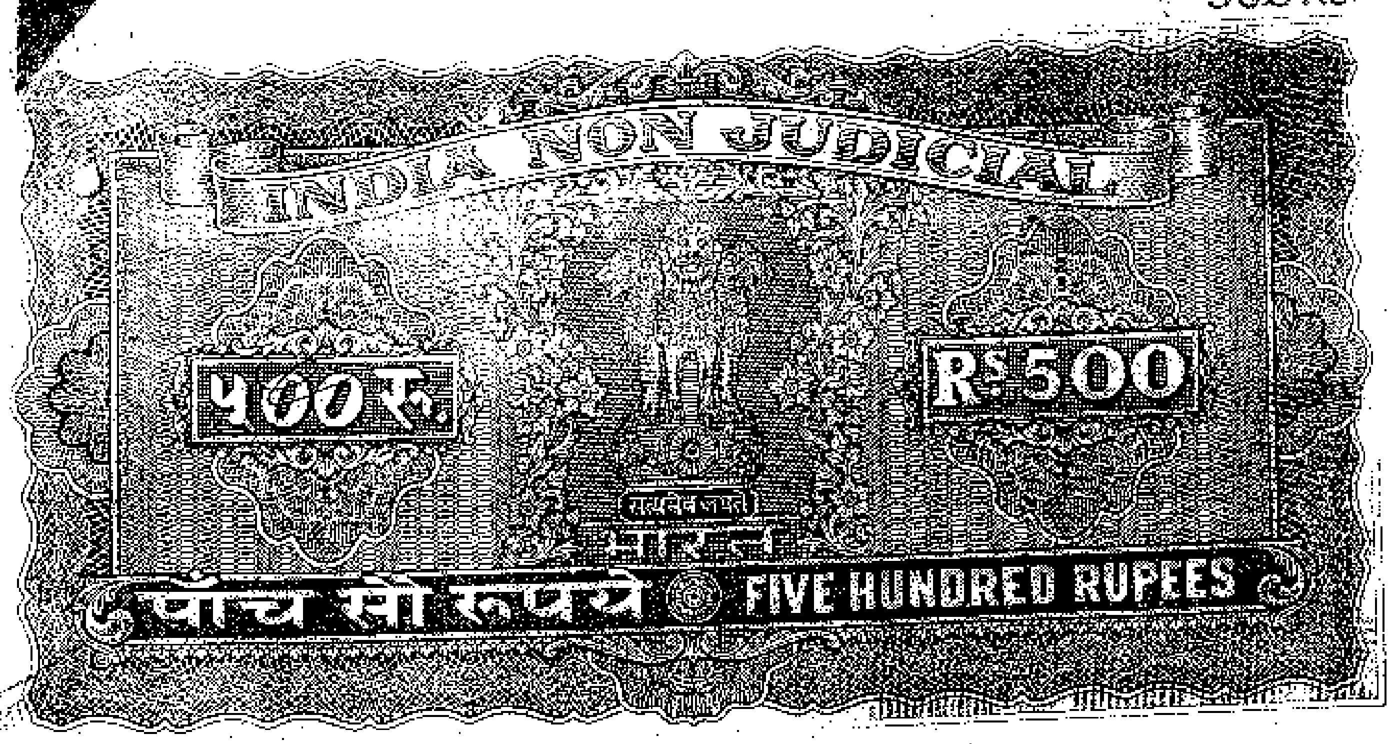

4D

आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारित दर अंकन- **2,000/-**

500Rs

4E

रुपये प्रति वर्गमीटर है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प

500Rs

4F

ड्यूटी अदा की जा रही है।

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

070537

(5)

एवं अपनी पूर्ण संतुष्टि के पश्चात भूमि क्रय की जा रही है।

हम कि श्री सत्यवीर पुत्र श्री लखमी निवासी - ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद - प्रथम पक्ष विक्रेता।

एवं अग्रवाल एसोसिएटस कोलोनाइजर्स लि0 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव दिल्ली - 92 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अतुल अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल निवासी - फ्लैट नं0 3, प्राइम प्रथम अपार्टमेन्ट, 124 राधेश्याम पार्क, साहिबाबाद

Rs 20000 भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 070540

गाजियाबाद - द्वितीय पक्ष क्रेता।

इस लेख पत्र में विक्रेतागण व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक एवं न्यायिक प्रतिनिधिगण भी पूर्णतः सम्मलित समझे जायेंगे।

विदित हो कि कृषि भूमि खाता नं0 436 खसरा नं0 2261 मि0 क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टेयर व खसरा नं0 2262 क्षेत्रफल 0.3540 हेक्टेयर व खसरा नं0 2264 क्षेत्रफल 0.2660 हेक्टेयर व खसरा नं0 2266 क्षेत्रफल 0.4000 हेक्टेयर व खसरा नं0 2265

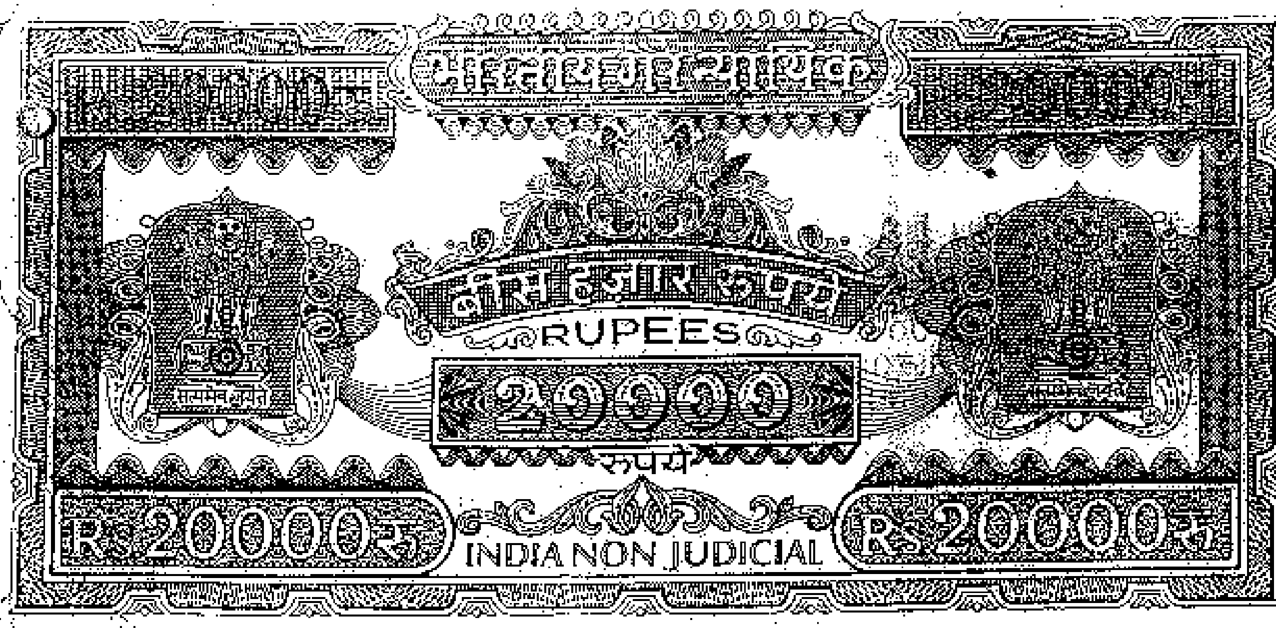

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 070536

(7)

क्षेत्रफल 0.3670 हेक्टेयर कुल नम्बरान 5 क्षेत्रफल 1.6320 हेक्टेयर में से विक्रेता का कुल 1/15 भाग अर्थात 0.1088 हेक्टेयर है, भूमि इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय की जा रही है, स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद का मैं प्रथम पक्ष विक्रेता मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर हैं, तथा भूमि को विक्रय आदि के पूर्ण अधिकारी है, उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि करने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नहीं है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है, कहीं अन्य आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय,

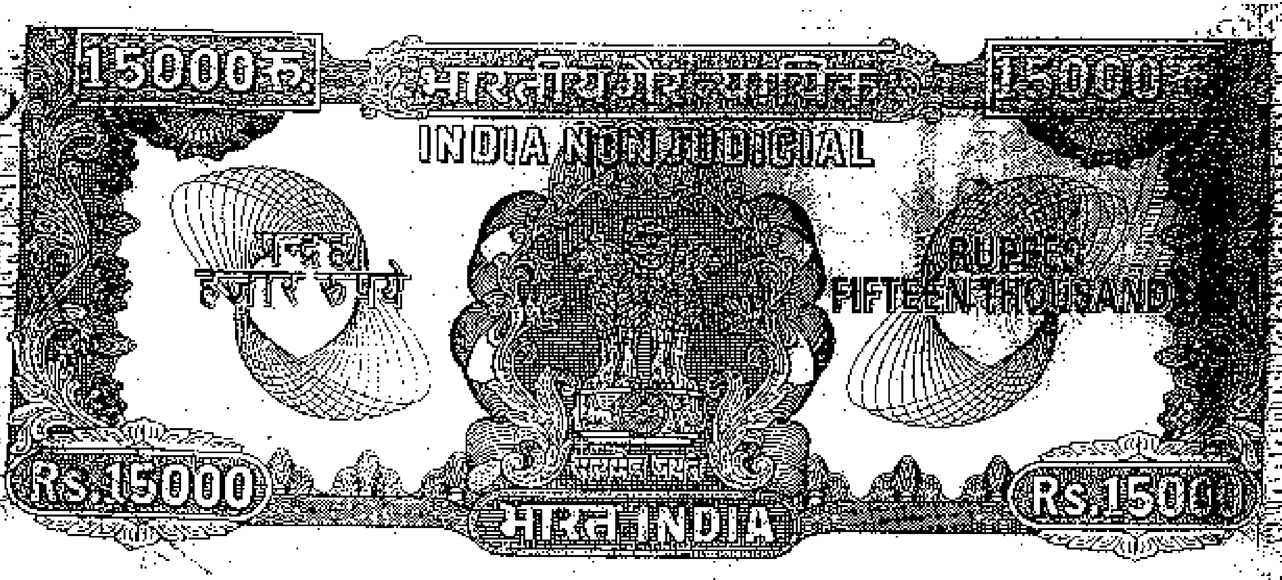

30 MAY 2006

01BB 754271

जमानत बैंक लोन आदि से ग्रस्त नहीं है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने सालिम भूमि उपरोक्त को अपनी खुशी रजामन्दी समस्त स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में मय तमामी हकूक मालिकाना दाखली व खारजी हर किस्म मय कब्जा आदि आदि सहित आज की तारीख में बदले अंकन - 15,61,488/- रुपये (पन्द्रह लाख इकसठ हजार चार सौ अट्ठासी रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन - 7,80,744/- रुपये होते है, जो हाथ द्वितीय पक्ष क्रेता फर्म उपरोक्त को विक्रय कतई कर दी तथा बेच दी और कुल कीमत मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

646503

(9)

ने द्वितीय पक्ष क्रेता से निम्न विवरण अनुसार प्राप्त कर ली है। इस प्रकार बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है। विक्रय भूमि का बैनामा विक्रेता व क्रेता के वर्णनानुसार लिखा गया है, अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक को अपना कोई कथन नहीं है। विक्रेता व क्रेता ने पढ़कर, सुनकर व समझकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये है। अब इकरार यह कि उपरोक्त भूमि को मिलकियत उसके मूल्यांकन तथा किसी अंश से मुझ प्रथम पक्ष

2 1 . . . 2006

लाइसेंस ... की अवधि 31-3-07

... का स्थान चेम्बर नं० 54

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 097970

विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नही रहा है, न आइन्दा होगा। कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीय पक्ष का करा दिया है, अब द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है, जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, गरज यह कि उक्त भूमि के विषय में जो अधिकार मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त है, वे सब अधिकार द्वितीय पक्ष केता के पक्ष में परिवर्तित हो जायेंगे। समस्त राजपत्रों में द्वितीय पक्ष अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार

2006

… की अवधि 31-3-0)

… स्थान चेम्बर नं० 54

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु. 50 | Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 097971

पर स्वयं दर्ज करा ले, इस विक्रय पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष ने स्वयं वहन किया है, पक्षकारान के मध्य कोई इकरारनामा महायदावय पंजीकृत नही हुआ है। अब इकरार यह है कि अगर बावजह बेइस्तहक्काकी मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता के या बदावेदारी किसी सहीम व शरीक के विक्रय की जाने वाली भूमि कुल अथवा उसका कोई भाग कब्जे या अधिकार क्रेता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर मैं विक्रेता समस्त

2006

[illegible]

[illegible] 3-07

[illegible] 54

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 097972

विक्रय धन की वापसी का मय हर्जे खर्चे सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहूंगा।

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

<u>**विवरण वसूलयाबी:**</u> - अंकन- 15,61,488/- रुपये द्वारा चैक नं० 861746 दिनांकित 20-06-2006 जो इण्डियन बैंक की शाखा चांदनी चौक दिल्ली के खाते से जारी है, प्राप्त किये, इस प्रकार

1 2006

29/26

31-3-07

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 097973

(13)

कुल धनराशि प्राप्त की तथा कुछ भी शेष नहीं रहा है।

गवाह :-

गवाह :-

दिनांक: - 21-06-2006 मसौदा चौधरी ब्रह्मपाल सिंह वीरमान, दस्तावेज लेखक, अनुज्ञा पत्र संख्या - 85/89, चैम्बर नं0 63, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।

21 ... 2006

30/96

स्थान : 50

... स्टाम्प

... की अवधि 31-3-07

... नम्बर नं० 54

बही नं० I जिल्द सं० 6691 पृष्ठ 227 ... 66 नम्बर ...
को आज दिनांक 21/6/06 को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम
गाजियाबाद

उप निबन्धक प्रथम गाजियाबाद * उत्तर प्रदेश *
सत्यमेव जयते

भूमि प्लान खाता नं० - 436 खसरा नं० ...

रकबा - 0.1088 ...

ह० किसान

ह० रा० ता०

मानचित्र प्रलेख सं0 .... प्राप्त हुआ।

22-7-3/06

उप० प्रथम

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश